International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 6, June- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण नीति की सार्थकता राजस्थान के विशेष सन्दर्भ में एक आलोचनात्मक अध्ययन

डॉ अरुण कुमार
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय,राजगढ़ (अलवर)

सार
संविधान में निहित समानता की अवधारणा के संबंध में आरक्षण का मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है। अध्ययन द्वारा किए गए प्रयास शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण नीति के मुद्दे को प्रकाश में लाने का है। आरक्षण नीति से जुड़े महत्व और विवाद को विभिन्न संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से देखा जा सकता है।
संविधान के लागू होने के बाद, भारत सरकार ने संवैधानिक प्रतिबद्धता के आलोक में देश के पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी पहल शुरू की। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के साथ पठित अनुच्छेद 14, 15(4), 16 (4), 338 (10) और 340 (1) में सन्निहित सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धताओं और जनादेशों की पूर्ति में, बी.पी. मंडल की अध्यक्षता वाले द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था। वर्तमान समय में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए कई स्नातक और स्नातकोत्तर सामान्य, तकनीकी, चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ-साथ सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण उपलब्ध है।

मुख्य शब्द
आरक्षण नीति, संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक घोषणाएं

भूमिका
संविधान निर्माताओं, न्यायिक प्रयासों और संविधान का उद्देश्य एक उचित आरक्षण नीति था लेकिन दुर्भाग्य से सुरक्षात्मक भेदभाव नीति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कुछ क्षेत्रों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही हैं। क्योंकि बैक लोग का नही भरा जाना आरक्षण कोटे को काटा जाना , इत्यादि कारणों से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अशंतुष्ट हैं साथ ही स्वर्ण समाज आरक्षण मे क्रीमी लेयर लागू करवाने के लिए प्रतिबंध है उनका इस आरक्षण नीति के प्रति विरोध भाव प्रखर रूप से उद्घाटित होता है।
भारतीय समाज को भारतीय जाति व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर उच्च स्तर की संरचनात्मक असमानता और भेदभाव की विशेषता है, जो जन्म के आधार पर आर्थिक और नागरिक अधिकारों के असमान और पदानुक्रमित असाइनमेंट के साथ शुद्धता और प्रदूषण के सिद्धांतों पर आधारित है। जाति पदानुक्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन सर्वोच्च श्वर्णश् हैं। तथाकथित निचली जातियां श्अवर्णश्, चार गुना वर्ण व्यवस्था से परे, श्अस्पृश्यताश् के कलंक को झेलती हैं और सामाजिक बहिष्कार के भेदभावपूर्ण रूप आज भी मौजूद हैं। इस तथ्य के बावजूद कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ उभरे सामाजिक सुधार आंदोलनों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश काल के दौरान ही आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी।
आरक्षण का उद्देश्य दलित वर्गों के जीवन स्तर, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर को उन्नत करके सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने और विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक समानता लाने के लिए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।
सामान्य वाक्यांशों में आरक्षण को संरक्षित करने के एक अधिनियम को संदर्भित करता है या भारत में आरक्षण को रोकना कानून सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के संघ और देश के सिविल सेवा संघ और राज्य के सरकारी विभागों में और सभी सार्वजनिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान और उन प्रस्तावों और संस्थानों में प्रतिनिधित्व। भारत की संसद के अंदर प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति भी लंबी है। और यह प्रतिनिधित्व अप्रतिबंधित समुदाय को दे रहा है।
जबकि आरक्षण की समाज के ऊपरी हाशिये से तीखी आलोचना हो रही है, ऐसे कई आर्थिक रूप से गरीब, सामाजिक समूहों के लिए आरक्षण बढ़ाने पर संवाद बढ़ रहे हैं जिनका पिछड़ेपन का कोई पिछला सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास नहीं है। कोटा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 6, June- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

आधारित आरक्षण और आरक्षण समर्थक नीतियां जाति की राजनीति की इस द्वंद्वात्मकता से ग्रस्त हैं। आरक्षण पर विमर्श दो लोकप्रिय दृष्टिकोणों और धारणाओं का अनुसरण करता है।
आरक्षण मूल उद्देश्य के कमजोर पड़ने और उच्च जाति के लोगों द्वारा आर्थिक आरक्षण कोटा के दायरे में शामिल करने की वकालत से ग्रस्त है। समस्या न्यायालयों और राज्य तंत्र द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या में निहित है, जो उत्पीड़न के इतिहास वाले सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए आरक्षण के संशोधनवादी उद्देश्य को अस्पष्ट और महत्वहीन बना रही है।
हालांकि निचली जातियों के लिए संविधान द्वारा आरक्षण की गारंटी दी गई है, लेकिन वास्तविक परिदृश्य काफी अलग है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने में पारदर्शिता की निरंतर कमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित सीटें, अनिवार्य सामाजिक कर्तव्य के रूप में निचली जातियों के लिए 50 प्रतिशत कोटा पूरा नहीं करना, सरकारी सेवाओं, राजनीतिक और जातिवादी भर्ती में एक बैकलॉग बनाना निर्णय लेने और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप, और अंत में, आरक्षण को निचली जातियों के लिए विकास को गति देने के लिए एक समयबद्ध संवैधानिक तंत्र बनाने में विफल रहने से आरक्षण की अवधारणा में निहित परिवर्तनकारी संभावना के लक्ष्य में कमी आई है। इसकी आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि निम्न जाति को शैक्षिक और वेतनभोगी कार्यों पर कब्जा करने से रोकने के लिए उच्च जाति प्रबंधन निकायों द्वारा पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, अक्सर योग्यता की कमी, बेहतर खुली श्रेणी के उम्मीदवारों, दक्षता पर समझौता करने की चिंता, नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऊपर, अनुपयुक्तता, उम्मीदवार की अनुपलब्धता, खराब गुणवत्ता और इसी तरह, उच्च-जाति और उच्च-वर्ग समुदायों के लाभ के लिए आरक्षण के प्रवचन को सही ठहराने और उपयुक्त बनाने के लिए।
जाति-आधारित आरक्षण भारत के विशेषाधिकार प्राप्त अमीरों या यहाँ तक कि आर्थिक रूप से गरीब उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति समुदायों पर किए गए सामाजिक अपराधों पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में एक संवैधानिक हस्तक्षेप रहा है।

भारतीय लोकतंत्र में आरक्षण नीति की सार्थकता
असमानता का एक आर्थिक वर्गीकरण पसंदीदा मार्ग के रूप में आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता है क्योंकि इस तरह की अस्वीकृति के पक्ष में तर्कों को केवल एक नव-उदारवादी पूंजीवादी राज्य की विफलता के रूप में माना जा सकता है जो काम, शिक्षा और अवसर के समान और समतावादी अवसर प्रदान करने में असमर्थ रहा है। . यदि गरीबी उन्मूलन के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, तो गरीबी को एक अवरोधक घटना के रूप में मान्यता देने वाले प्रत्येक वैश्विक भूख आंदोलनों ने वैश्विक आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुधारने के तरीके के रूप में माना होगा।
आरक्षण नीतियों के संबंध में राजनीतिक प्रवृत्ति संविधान में सन्निहित दृष्टिकोण के ठीक विपरीत विचार प्रस्तुत करती है। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय हित के उच्च आदर्शों के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले गए हैं और जाति और जाति अकेले ने अपनी संदिग्ध भूमिका निभानी शुरू कर दी है और राष्ट्रीय संतुलन को बहुत अधिक प्रभावित किया है और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष की सामाजिक उपलब्धि को प्रभावित किया है।
वर्तमान आरक्षण नीति को समाज के दबे-कुचले वर्गों की स्थितियों में सुधार लाने के किसी गंभीर इरादे से नहीं अपनाया गया है। यह सिर्फ एक वोट बैंक का कागज है। पिछड़े वर्गों की सूचियां एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लंबी होती रही हैं। हर राजनीतिक दल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लुभाने के लिए दूसरे से होड़ करता है। हर चुनाव में ये वर्ग राजनीतिक वोट बैंक के रूप में काम करते हैं।
आरक्षण नीति के साथ समस्या यह है कि तरजीही व्यवहार के आधार पर जाति होती है, इस तरह पूरी जाति को लाभ नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत होता है। चूंकि एक जाति को अतीत में सामूहिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, इसलिए जाति वर्तमान में भी प्रतिपूरक न्याय का आधार बनी रही। जाति आधारित शोषण, अभाव और अत्याचार जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाएँ मानव स्थिति का हिस्सा प्रतीत होती हैं और ये प्रथाएँ भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समूह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। एक अन्य प्रासंगिक मुद्दा यह है कि आरक्षण कब तक लागू रहना चाहिएय प्रतिपूरक भेदभाव में आत्म-स्थायी और आत्म-परिसमापन दोनों विशेषताएं हैं।
यदि अधिक संभावना प्रतीत होती है कि जब तक जातियों के बीच असमानताएँ बनी रहती हैं, तब तक आरक्षण अपरिवर्तनीय है, जब तक कि आरक्षित समुदायों के लोगों की संख्या शिक्षा सार्वजनिक रोजगार में उसी अनुपात में नहीं है जितनी कि कुल जनसंख्या में उनका अनुपात है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज के कमजोर समूहों, अर्थात् स्कैंड एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिलाओं को शिक्षा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में अभाव का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सरकार कई उपायों के माध्यम से इन समूहों की शैक्षिक स्थिति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके मामले

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 6, June- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

में हुई प्रगति परिकल्पित लक्ष्यों से काफी कम है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान, भारत सरकार को कई अन्य कमियों के अलावा शैक्षिक पिछड़ेपन की विरासत विरासत में मिली।

आरक्षण और राष्ट्र निर्माण विरोधी नहीं हैं। एक और सवाल संसद और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण पर 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन काफी दिलचस्प बात यह है कि उच्च जाति के गैर-आरक्षित बुद्धिजीवियों और मीडिया द्वारा योग्यता के आधार पर महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं किया गया। उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के छात्र उस पृष्ठभूमि से आते हैं जिसे शिक्षा के लिए नुकसानदेह माना जा सकता है। उनमें से ज्यादातर कॉलेजों या उच्च विद्यालयों में पहली पीढ़ी के प्रवेशकों के रूप में होते हैं, जो अनुसूचित जाति की शिक्षा पर निवेश से सकारात्मक रिटर्न का संकेत देते हैं। उनमें से अधिकांश स्नातक स्तर की पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं और खुद को अपने पारंपरिक व्यवसायों से बंधे नहीं मानते हैं। वे जाति परिभाषित बंधन से निकलकर निम्न दर्जे के व्यवसायों में जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ये निष्कर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की ओर उन्मुखीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। व्यावहारिक रूप से, निम्न शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंधित अधिकांश अनुसूचित जाति के छात्र बेहतर और निष्पक्ष नौकरियों की उपलब्धि के लिए उच्च शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं, जबकि उच्च शिक्षित और पेशेवर रूप से योग्य पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए इसका महत्व समुदाय की कमियों को दूर करने में निहित है। और समाज में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार।

आरक्षण को बढ़ावा देना और लागू करना भारतीय लोगों को समान रूप से व्यवहार करने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने आरक्षण नीति की पुरानी व्यवस्था को संशोधित और बदल दिया। आरक्षण उन समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक उत्पीड़न, असमानता और भेदभाव को दूर करने और इन समुदायों को जगह देने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य संविधान में निहित समानता के वादे को साकार करना है। विभिन्न भेदभाव या दबे हुए वर्गों को दूर करने और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया। दलितध्शोषित वर्ग के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण का एक विशेष प्रावधान लगाया गया था। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आवास और छात्रवृत्ति आदि की विशिष्ट आवश्यकता की व्यवस्था की गई है।

उच्च और तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में, विशेष प्रावधान भी शुरू किए गए जैसे कि न्यूनतम योग्यता कट-ऑफ प्रतिशत में छूट, सीटों का आरक्षण, उपचारात्मक कोचिंग और माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आगामी आधुनिक व्यवसायों में उनके कौशल में सुधार के लिए विशेष रियायतें भी प्रदान की गईं, जिनमें बेहतर रोजगार क्षमता है। 93वें संविधान संशोधन और कार्यान्वयन का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है क्योंकि संशोधन समाज के कमजोर वर्गों के लिए द्वार खोलता है। संशोधन 2006 में अनुच्छेद 15 (खंड 5) के तहत लागू हुआ। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में कमजोर लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई थी। निजी शिक्षण संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में विशेष प्रावधान भी इस संशोधन में शामिल है।

विचार विमर्श

कानून के समक्ष समानता निस्संदेह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत परिभाषित है। इसका मतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार किसी भी भारतीय नागरिक को उनके लिंग, जाति, पंथ, धर्म आदि के आधार पर अलग नहीं करेगी। इनके लिए भारत की केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें आवंटित की हैं, एसटी और ओबीसी विभिन्न अनुपातों में।

सभ्यता से संबंधित पुरुषों और महिलाओं दोनों के विकास में शिक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। उचित शिक्षा व्यक्तित्व के विकास और सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक होती है। भारत का सामाजिक और राजनीतिक वर्ग अपने नागरिकों के क्षेत्र में बराबरी का खेल बनाने के लिए महिलाओं को तरजीह देने के पक्ष में है। उनकी उदारता के कारण, भारत में महिलाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या अधिमान्य उपचार मिल सकता था। लेकिन, महिला शिक्षा में आरक्षण प्रावधानों के बारे में गलत धारणा है। भारत में महिलाओं का यह अधिमान्य उपचार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश में उनके साथ भेदभाव करता है। निःसंदेह अध्यापन लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है तथा उन्हें तथा समाज आदि को सावधान करता है, परन्तु यहाँ महिलाओं की स्थिति भी कमजोर है।

हालाँकि भारत में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नीति शुरू की गई थी, हर पहलू में आरक्षण की समस्याएँ हैं, और

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 6, June- 2022
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |**Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

शैक्षिक आरक्षण समस्या उनमें से एक है। अमेरिका जैसे विकसित देशों ने भी आरक्षण नीति को सकारात्मक कार्रवाई के रूप में अपनाया और भारत के जितने मुद्दे नहीं थे। मुख्य कारण यह है कि संबंधित सरकारें संविधान के कानून द्वारा प्रस्तावित सटीक दर का पालन करने के बजाय बहुत कम प्रतिशत प्रदान करती हैं। 1980 के दशक में, सभी जातियों की युवा पीढ़ी के पास शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच भी असंतोषजनक थी। आजादी के बाद पिछड़ी जातियों को सामान्य शिक्षा प्राप्त करने में उच्च जातियों की तुलना में तेजी से वृद्धि हुई लेकिन उच्च शिक्षा में बहुत कम।

मंडल आयोग का गठन 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, सीट आरक्षण के सवाल पर विचार करने, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए लोगों के लिए कोटा, और पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए ग्यारह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों का उपयोग करने के लिए किया गया था, लेकिन ये थे उच्च जाति द्वारा भी भारी हेरफेर किया गया। उदाहरण के लिए, 2006 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के एमएचआरडी के कैबिनेट मंत्री अर्जुन सिंह पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था जब उन्होंने चारों ओर शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था। भ्रष्टाचार इसलिए सत्ता में अनुवादित और राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का एक साधन है, जो एक बार केवल उच्च-जाति के सदस्यों के लिए खुला था।

महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे के बारे में, भारत में अधिकांश महिलाओं को पता नहीं है कि महिलाओं के 33ः आरक्षण को छोड़कर बिल में क्या है। शिक्षा की कमी इस संबंध में मुख्य कारक है। एक बेहतर स्थिति बनने के लिए, कुछ शिक्षित महिलाएं और संसद सदस्य आरक्षण के माध्यम से संसद में अधिक भागीदारी के लिए आवाज उठाती हैं। उनके अनुसार, संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, और इस विधेयक के परिणामस्वरूप उनकी बढ़ी हुई उपस्थिति राजनीति की प्रकृति को बदल देगी, इसे कम भ्रष्ट, महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक शैक्षिक विकास, और समग्र रूप से अधिक लोकतांत्रिक और दयालु। फिर भी लोकसभा के सदस्य भारत की संसद में इस पर आपत्ति भी जताते हैं।

निष्कर्ष

संविधान संशोधनों के तहत अनुच्छेद 16 (4ए) और 16 (4बी) को अनुच्छेद 16(4) से प्रवाहित किया गया है। लेकिन इससे भी अनुच्छेद 16(4) की संरचना नहीं बदली। ये संशोधन केवल एससी और एसटी तक ही सीमित हैं। हम दोहराते हैं कि 50ः की अधिकतम सीमा, क्रीमीलेयर की अवधारणा, और अनिवार्य कारण, अर्थात्, पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, और समग्र प्रशासनिक दक्षता, सभी संवैधानिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना अनुच्छेद में अवसर की समानता की संरचना पतन होना। इसलिए, आरक्षण प्रावधान करने से पहले, संबंधित राज्यों को अनिवार्य कारणों के अस्तित्व के लिए प्रत्येक मामले में प्रदान किए गए आरक्षण प्रतिशत की जांच करनी चाहिए, जैसे पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात के आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कितने आरक्षण प्रतिशत प्रदान किए गए हैं। ,

आरक्षण की आवश्यकता कई राज्यों के लिए कुछ नहीं से बेहतर हो जाती है, लेकिन यह कहना असंभव है कि आरक्षण से सभी को लाभ नहीं होता है। अंत में, राजनेताओं और सरकार को आरक्षण प्रतिशत में हेरफेर न करने देने के लिए, विरोध, बंद, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक जुलूस आदि के तरीकों का उपयोग करके जनता की आवाज महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

1 कुमार, संतोष। (2018)। सामाजिक न्याय और भारत में आरक्षण की राजनीति, नई दिल्ली ए मित्तल प्रकाशन, पी. 70।
2 कुमार त्रिपाठी, आदर्श, और त्रिपाठी, मधुसूदन। (2019)। भारतीय राजनीतिक और आरक्षण नीति, नई दिल्ली ओमेगा प्रकाशन, पृष्ठ 71
3 कुमार, संतोष कुमार वी. (2018)। सामाजिक न्याय और भारत में आरक्षण की राजनीति, नई दिल्ली ए मित्तल प्रकाशन, पी.62
4 ए.एस.नारंग। (2020)। भारत सरकार और राजनीति, नई दिल्ली गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, पी। 560
5 एच सी उपाध्याय। (2020)। आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, नई दिल्ली, अनमोल प्रकाशन, पृष्ठ 3।
6 तृप्ति, आदर्श कुमार। (2019)। भारतीय राजनीति और आरक्षण नीति, नई दिल्ली, ओमेगा प्रकाशन, पृष्ठ 121।
7 रुचि त्यागी। (2019)। भारत में सरकार और राजनीति, नोएडा मयूर पेपरबैक प्रकाशन, पी। 10.25।
8 कौशिक, रजनीश। (2010)। आरक्षण नीति, नई दिल्लीः राधा प्रकाशन, पृ. 80.